माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश

भाग–एक

*इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921

(1921 का प्रदेशीय अधिनियम संख्या 2)

एक माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिए अधिनियम

यह इष्टकर है कि संयुक्त प्रान्त में हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा की पद्धति का विनियम और पर्यवेक्षण करने के संबंध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थान लेने के लिए तथा उसके लिए पाठ्यक्रम विहित करने के लिए एक परिषद् की स्थापना की जाय।

अतः एतद्द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

1– (1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक ≅ से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निदेश दें।

---

* उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए गजट,1921,भाग 7,पृष्ठ 18 देखिये। प्रवर समिति(सेलेक्ट कमेटी) की रिपोर्ट के लिए गजट,1921, भाग 8, पृष्ठ 577 देखिए। विचार–विमर्श के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् दिनांक 2 अप्रैल,1921, 4अप्रैल,1921, 25 जुलाई, 1921, 26 जुलाई,1921, तथा 27 जुलाई,1921 का क्रमशः खण्ड 2 में पृष्ठ 635 पर, खण्ड 2 में पृष्ठ 676–706 पर ,खण्ड 3 में पृष्ठ 54 पर,खण्ड 3 में पृष्ठ 111–160 पर तथा खण्ड 3 में पृष्ठ 179–243 पर प्रकाशित कार्यवाही देखिए।

[1941 के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या पॉच,1950 के अधिनियम संख्या 4,1958 के अधिनियम संख्या 35 तथा 1959 के अधिनियम संख्या 6 तथा 1972 के अधिनियम संख्या 29 एवं 1975 के अधिनियम संख्या 26 तथा 1977 के अधिनियम संख्या 5 तथा 1978 के अधिनियम संख्या 12 एवं 1981 के अधिनियम संख्या 1 तथा 9 एवं 1982 के अधिनियम संख्या 5 एवं अधिनियम संख्या 18 सन् 1989 द्वारा संशोधित।]

[भारत सरकार के 1937 के आदेश(एडप्टेशन आफ इंडियन लाज द्वारा अनुकूलित और आशोधित),राज्यपाल की अनुमति 30 सितम्बर,1921 को तथा गर्वनर जनरल की अनुमति 10 सितम्बर,1921 को प्राप्त तथा भारत सरकार अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत 7 जनवरी,1922 को प्रकाशित]

≅ यह अधिनियम 1 अप्रैल 1922 को प्रवृत्त हुआ।

परिभाषाएं

2– जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बने समस्त विनियमों में—

(क) "बोर्ड" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् से है,

(कक) "केन्द्र" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नियत की गई संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू–गृहादि भी सम्मिलित है,

(ककक) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक,उत्तर प्रदेश से है* और धारा 3 के प्रयोजनों के सिवाय इसके अन्तर्गत अपर शिक्षा निदेशक भी हैं,

(ख) "संस्था" का तात्पर्य मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज,हायर सेकेन्डरी स्कूल या हाईस्कूल से है,और जहॉ संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो,इसके अन्तर्गत संस्था का भाग भी है, और 'संस्था के प्रधान' का तात्पर्य ऐसी संस्था के, यथास्थिति, प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक से है,

**(खख) "निरीक्षक" का तात्पर्य,यथास्थिति ,जिला विद्यालय निरीक्षक से,और बालिकाओं के लिए संस्था की स्थिति में,सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है,और प्रत्येक स्थिति में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है,

(खखख) "अन्तरीक्षक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है,जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करें,

***(ग) "विहित" का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है,

(घ) "मान्यता" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गई मान्यता से है,

≡(घघ) "सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक" का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी शिक्षा उप– निदेशक से है और इसमें सम्भागीय उप निदेशक के समस्त कर्त्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित है।

(ङ) "विनियम" का तात्पर्य बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गए विनियमों से है।

(च)"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(छ)"केन्द्र अधीक्षक" का तात्पर्य बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति से है और उसमें अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी सम्मिलित है।

---

* इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 2 की उपधारा (ककक) संशोधित हुई।

**टिप्पणी–विज्ञप्ति संख्याः ए–एक–4785/पन्द्रह–1677–59, दिनांक 13 अक्तूबर, 1959 द्वारा सहयुक्त विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल को अपने जिले में अधिनियम की धारा 16–क से 16–झ तक के सम्बन्ध में निरीक्षक के समस्त कर्त्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत किया गया।

*** माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा धारा (ग) बढ़ाई गई।

≡टिप्पणी– विज्ञप्ति संख्या ए–एक 4785/पन्द्रह–1677–59, दिनांक 13 अक्तूबर, 1959 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, नैनीताल को कुमांयू सम्भाग में अधिनियम की धारा 16–ए से 16–आई तक के सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक के समस्त कर्त्तव्यों के पालन करने के लिए अधिकृत किया गया।

बोर्ड का संगठन

\# 3–(1) बोर्ड में एक सभापति (जिस पद को निदेशक पदेन धारण करेगा) और निम्नलिखित अन्य सदस्य होगें, अर्थात्–

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के,राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो प्रधान;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के,राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो अध्यापक;

(ग) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति।

(घ) निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान,उ0प्र0, इलाहाबाद या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति।

(ङ) अपर शिक्षा निदेशक, (पत्राचार), पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन।

(च) अपर शिक्षा निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा) लखनऊ, पदेन।

(छ) शिक्षा से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो व्यक्ति।

(ज) महिला शिक्षा से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो महिलायें।

(झ) निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन।

(ञ) प्राचार्य, राजकीय शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन।

(ट) निदेशक, मनोविज्ञान केन्द्र, इलाहाबाद, पदेन।

(ठ) सचिव, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, लखनऊ, पदेन।

(ड) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट,एक जिला विद्यालय निरीक्षक।

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट,एक सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक।

(ण) क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद, पदेन।

(त) प्राचार्य, राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय रामपुर, पदेन।

(थ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्वद्ध किसी महा विद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक आचार्य।

(द) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी अभियंत्रण विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अभियंत्रण महा विद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक आचार्य।

(ध) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी कृषि विश्वविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक आचार्य।

(न) किसी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी चिकित्सा महाविद्यालय का राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक आचार्य।

\# (2) बोर्ड का सचिव, बोर्ड का पदेन, सदस्य–सचिव होगा।

\# (3) बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन और नाम–निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि बोर्ड का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है।

सदस्य का हटाया जाना

3––(क) राज्य सरकार बोर्ड से किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है,जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरुपयोग किया हो कि जिससे बोर्ड के सदस्य के रूप में उसका बने रहना जनहित के लिए हानिकर हों।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

\# इण्टरमीडिट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित।

सदस्यों की पदावधि

4—(1) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति के दिनांक से तीन वर्ष की होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसे सदस्यों के पद की अवधि एक बार में ≅6 माह से अनधिक समय के लिए इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर ≅एक वर्ष से अधिक न हो।

(2) बोर्ड का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जायेगा।

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों की पूर्ति

≅5– राज्य सरकार धारा 4 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व बोर्ड के पुनर्गठन के लिए कार्यवाही करेगी।

≅6–[निकाली गई]।

बोर्ड के अधिकार

7– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार होगें अर्थात्––

*(1) हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना।

(1–क) ऐसे पाठ्य–पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का,दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा प्रकाशन या निर्माण।

(2) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करना:–

(क) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, जिसे बोर्ड द्वारा मान्यता के विशेषाधिकार प्रदान किए गए हों, या

(ख) जो अध्यापक हों, या

(ग) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तो के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तो के अधीन बोर्ड की परीक्षायें उत्तीर्ण की हो।

(3) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना;

(4) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना;

(5) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना;

(6) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना,जो विनियमों में विहित किए जांय ;

---

* उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधन हुआ।

** माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

≅ उ0प्र0 शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित हुआ।

*(7) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णत. या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;

(8) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना, जो बोर्ड अवधारित करें;

(9) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना;

(10) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना,जिससे वह सम्बन्धित हो;

(11) बजट में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना,जिन्हें उसनें मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझें तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;

(12) ऐसे अन्य समस्त कार्यो और बातों को करना, जो हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा के विनियम और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में संगठित किए गए बोर्ड के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों।

मान्यता के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन

*7–क–धारा 7 के खण्ड(4) में किसी बात के होते हुए भी,	
किसी नये विषय में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता।	(क) बोर्ड,राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से,किसी संस्था को किसी नयेविषय में या विषयों के वर्ग में या किसी उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दे सकता है। (ख) निरीक्षक किसी संस्था को किसी वर्तमान कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है।
7–कक– मूल अधिनियम की धारा अंश कालिक अध्यापकों या अंशकालिक अनुदेशकों का सेवायोजन।	(1) इस अधिनियम में किसी बात केहोतेहुए भी,किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण– (एक) अन्तरिम व्यवस्था के रूप में अंशकालिकअध्यापक को,धारा 7–क के अधीन जिस विषय या विषयों के वर्ग या उच्चतर कक्षा के लिए मान्यता दी गई है,उसमें,या वर्तमान कक्षा के जिस अनुभाग के लिए अनुज्ञा दी गई है,उसमें शिक्षा देने के लिए। (दो) अंशकालिक अनुदेशक को,नैतिक शिक्षा, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी उत्पादक कार्य के लिए, किसी व्यापार या शिल्प या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अनुदेश देने लिए, अपने श्रोत से सेवायोजित कर सकता है।

(2) धारा 7–क के अधीन कोई मान्यता और अनुज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि प्रबन्ध समिति निरीक्षक को नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में ऐसी प्रतिभूति न दे जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) किसी संस्था में किसी अंशकालिक अध्यापक को तब तक सेवायोजित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी शर्तो का जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, अनुपालन न किया जाय।

* माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा बढ़ाया गया।

(4) कोई अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक तब तक सेवायोजित नहीं किया जायगा जब तक वह ऐसी न्यूनतम अर्हतायें,जैसी निहित की जायं,न रखता हो।

(5)किसी अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक को ऐसा मानदेय दिया जायेगा जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जाय।

(6) इस अधिनियम की कोई बात किसी संस्था में अध्यापक के रूप में पहले से कार्यरत किसी व्यक्ति को धारा 7–कक के अधीन अंशकालिक अध्यापक या अंशकालिक अनुदेशक के रूप में सेवायोजित किए जाने से प्रवारित नहीं करेगी।

7–कख– उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज(अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा

छूट– सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम,1982 की कोई बात धारा 7–कक के अधीन किसी संस्था में सेवायोजित अंशकालिक अध्यापकों और अंशकालिक अनुदेशकों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिशेध

*7–ख– कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिए हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा, जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी, गृहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसके वर्णन में उसके हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्ति–युक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है।

संस्था में प्रवेश पाने के लिए कोई दान आदि प्रभावित करने पर रोक

*7–ग– किसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी ऐसे संस्था में प्रवेश देने या प्रवेश के उपरान्त पूर्ववत् रहने की अनुज्ञा देने **की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में न लेगा, न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

धारा 7–ख अथवा 7–ग का उल्लंघन करने के लिए शास्ति

*7–घ–धारा–7–ख अथवा 7–ग के उपबन्धों का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए करावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माना से भी जो एक हजार रूपये से कम न होगा दंडित किया जा सकेगा और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को,जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दंडित किया जा सकेगा।

दान का उचित उपयोग–

*7–ङ–जहाँ किसी संस्था द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है,अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु रूप में लिया या प्राप्त किया जाता है, वहाँ इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिनके लिए वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में नकद अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायगा, जिसका संचालन, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।

---

* इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा संशोधित (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 वर्ष 1987) 14 अक्तूबर, 1986 से प्रवृत्त।

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 द्वारा सम्मिलित।

* उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1977 द्वारा संशोधित।

कतिपय विश्वविद्यालयों को इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्ति

8– इस अधिनियम में दी गई किसी बात का बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय *के संगठन, अधिकार या कृत्यों पर उस समय तक कोई प्रभाव न पड़ेगा जब तक लिखित रूप में उनकी सहमति अभिलिखित न की गई हो।

राज्य सरकार के अधिकार–

9–(1)– राज्य सरकार को बोर्ड द्वारा संचालित अथवा किए गए किसी भी कार्य के सम्बन्ध में बोर्ड को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में,जिसमें बोर्ड सम्बन्धित हो,बोर्ड को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा।

(2) बोर्ड राज्य सरकार को उनके पत्र पर की गयी अथवा की जाने के निमित्त प्रस्तावित कार्यवाही की,यदि कोई हो,सूचना देगा।

(3) यदि बोर्ड उचित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है,जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

**(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो,तो वह बोर्ड को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किए बिना इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार,विखण्डन या रचना कर सकती है और तद्नुसार बोर्ड को तत्काल सूचना देगी।

**(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायगी।

बोर्ड के पदाधिकारी

10– बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारी होगें:–

(1) सभापति,

(2) सचिव,

(3) ऐसे अन्य पदाधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा बोर्ड के पदाधिकारी घोषित किया जाय।

सभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

11–(1) सभापति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है,और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होगें।

*(2) सभापति को बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात् किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर जिस पर बोर्ड की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किए जाने वाले कार्य का उल्लेख हो,बैठक बुलायेगा।

(3) बोर्ड के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में जिसमें सभापति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो,सभापति ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् बोर्ड को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना देगा।

(4) सभापति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जांय।

---

* उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 द्वारा इस धारा से शब्द "या लखनऊ विश्वविद्यालय" हटाया गया।

** माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा उपधारा (4) संशोधित हुई तथा उपधारा (5) बढ़ाई गई।

सचिव की नियुक्ति, उसके अधिकार और कर्त्तव्य

12–*(1) सचिव को राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर और ऐसी अवधि के लिए नियुक्ति किया जायेगा, जो राज्य सरकार उचित समझे।

(2) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सचिव बोर्ड का प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह वार्षिक अनुमान और लेखा विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) वह यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियाँ उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाती है,जिसके लिए वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गयी हो।

(4) वह बोर्ड का कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

**(4–क) वह परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो।

(5) वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किए जांय।

समितियों की नियुक्ति और संगठन

**13–(1) बोर्ड निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न–भिन्न समितियाँ नियुक्त की जा सकती हैं, अर्थात्––

(क) पाठ्यक्रम समिति,

(ख) परीक्षा समिति,

(ग) परीक्षाफल समिति,

(घ) मान्यता समिति, और

(ङ) वित्त समिति।

#(2) ऐसी समितियों में केवल बोर्ड के सदस्य ही सम्मिलित होगें प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड का कोई सदस्य इन समितियो में से एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नही होगा और समिति के सदस्य इस रूप में तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि वे बोर्ड के सदस्य हैं।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त,बोर्ड अन्य समितियाँ,यदि कोई हो, जो विहित की जाय, नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न–भिन्न समितियाँ नियुक्त की जा सकती हैं।

(4) इन अतिरिक्त समितियों का गठन ऐसी रीति से होगा जो विहित की जाय और इन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल ऐसी अवधि के लिए होगा जो विहित किया जाय।

बोर्ड द्वारा समितियों को प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग

14– इस अधिनियम द्वारा बोर्ड को प्रदान किए गए ऐसी अधिकारों के प्रयोग से सम्बन्धित समस्त विषय जिन्हें बोर्ड ने विनियम द्वारा अपनी किसी समिति को प्रतिनिहित किया हो,उक्त समिति को अभिदिष्ट किए गए समझे जायेगें और बोर्ड ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग करने से पूर्व सम्बन्धित विषय के बारे में समिति की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

---

*माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा धारा–11 की उपधारा(2) तथा 12 की उपधारा (1) संशोधित हुई।

**माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा धारा–12 में उपधारा (4–क) बढ़ाई गई तथा उपधारा (6) निकाली गई तथा धारा 13 संशोधित की गई।

*उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित।

अन्तरीक्षक आदि का लोक सेवक होना

14-क-(1) बोर्ड द्वारा संचालित किसी परीक्षा या परीक्षाओं की अवधि में तथा ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने के एक महीने पूर्व की अवधि में तथा उनके तुरन्त बाद दो महीने की अवधि तक किसी केन्द्र के अधीक्षक को तथा अंतरीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अधीन लोक सेवक समझा जायेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि में किसी केन्द्र के अधीक्षक या किसी अन्तरीक्षक पर किया गया कोई हमला या उनके साथ किया गया कोई आपराधिक बल-प्रयोग किसी लोक सेवक द्वारा उसके लोक-कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में स्वेच्छा से डाली गयी बाधा समझी जायगी और वह प्रसंज्ञेय अपराध होगा।

बोर्ड का विनियम बनाने का अधिकार

15-(1) बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए विनियम बना सकता है।

(2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकता है-

(क) समितियों का संगठन,उनके अधिकार और कर्त्तव्य,

(ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों का प्रदान करना,

(ग) बोर्ड की परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की मान्यता प्रदान किए जाने की शर्तें,

(घ) समस्त प्रमाण-पत्रों तथा डिप्लोमाओं के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्य-क्रम,

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी बोर्ड की परीक्षाओं में प्रविष्टि किए जायेगें और डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्रों के पाने के पात्र होगें,

(च) बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क,

(छ) परीक्षाओं का संचालन,

(ज) परीक्षकों की नियुक्ति तथा बोर्ड की परीक्षाओं के सम्बन्ध में उनके कर्त्तव्य और अधिकार,

(झ) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ग)** के अधीन बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन,

(ञ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना तथा मान्यता का वापस लेना,

(ट) ऐसे समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम के अनुसार विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके,

(ठ) वे शर्ते जिनके अधीन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायक अनुदान दिए जायेगें,

*(ड) अभिभावक-अध्यापक एसोशियेशन की रचना।

बोर्ड द्वारा बनाये गए विनियमों का पूर्व प्रकाशन और उनकी स्वीकृति

*16-(1) धारा 15 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बनाये जायेगें और गजट में प्रकाशित किए जायेगें,

(2) राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियिम को परिष्कार रहित या ऐसे परिष्कार सहित,जिसे वह उचित समझे,स्वीकृत कर सकती है।

---

* उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा बढ़ाया गया।

** उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित।

प्रशासन योजना

16–क–(1) किसी विधि,लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश अथवा अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासनयोजना होगी (जिसे एतत्पश्चात् प्रशासन योजना कहा गया है) चाहे उस संस्था को इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1958 के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गयी हो या उसके बाद में। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ–साथ एक प्रबन्ध समिति (जिसे एतत्पश्चात् प्रबन्ध समिति कहा गया है) के संगठन की व्यवस्था की जायगी, जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध तथा संचालन का अधिकार प्राधिकार निहित होगा। संस्था के* प्रधान तथा उसके दो अध्यापक,जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से नियमों द्वारा विहत रीति से चुने जायेगें, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होगें और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित् किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

**(3) विनियमों के अधीन रहते हुए प्रशासन योजना में संस्था के यथास्थिति *प्रधान तथा प्रबन्ध समिति के अलग–अलग अधिकार,कर्त्तव्य और कृत्य भी बताये जायेगें।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किए जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग–अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक की स्वीकृति के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

*प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अभ्यावेदन पर ,यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाय की प्रशासन योजना में वैयक्तिक संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) तक तथा धारा 16–ख और 16–ग के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायगा।

टिप्पणी–1– विज्ञप्ति संख्या सी–डी–2439/40–एम–66–59–60, दिनांक 23 सितम्बर, 1959 तथा संख्या सा–1–6002–21/14–63(11)–70–71 दिनांक 23 अगस्त,1970 द्वारा शिक्षा निदेशक ने अधिनियम की धारा 16–झ के अनुसार धारा 16–क(5), 16–ख व 16–ग के अपने समस्त अधिकार निम्नवत् प्रतिनिधायित कर दिए हैं—

" सम्भागीय, शिक्षा उप निदेशक, आगरा, मेरठ, ... अपने–अपने सम्भाग में।

नैनीताल, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद

गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद व झाँसी

शिक्षा उप निदेशक (अर्थ) मुख्यालय, इलाहाबाद .... सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश"

किसी भी सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा निर्देशित स्थिति में इन प्रतिनिधायनमें नैनीताल, शिक्षा निदेशक की विज्ञप्ति संख्या–जी(1)–2197/चौदह–63(553)–64–65, दिनांक 01 अक्तूबर, 1964 द्वारा एवं फैजाबाद तथा झाँसी विज्ञप्ति संख्या: सा–1–6002–51/14–63 (11)–70–71, दिनांक 23 अगस्त, 1970 द्वारा आया है तथा शिक्षा उप निदेशक(अर्थ) विज्ञप्ति संख्या–जी(1)–1330/49–23–61–62, दिनांक 30 सितम्बर, 1961 द्वारा उप शिक्षा संचालक (विद्यालय प्रबन्ध) के स्थान पर हुआ है।

टिप्पणी–2–अधिसूचना सं0 मा0–2450/15–7–8(4)–75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार धारा 16–क की उपधारा (1), (2), (4), (5) और (6) के उपबन्ध किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्था पर लागू नहीं होगी।

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

≅(7) जब कभी किसी संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई विवाद हो,तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनका सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा ऐसी जॉच करने पर जिसे उचित समझा जाय,उसके कार्यकलापों पर वास्तविक नियंत्रण पाया जाय, गठित ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मान्यता दी जा सकती हे जब तक कि सक्षम अधिकारतायुक्त कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दे।

प्रतिबन्ध यह है कि सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व प्रतिद्वन्दी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण–इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संस्था के कार्यकलापों पर किस व्यक्ति का वास्तविक नियंत्रण है, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक संस्था की निधि पर और उसके प्रशासन पर नियंत्रण को उसकी सम्पत्तियों से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा।

*16–ख–≅(1) किसी संस्था के इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1958 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व ही मान्यता प्राप्त होने की दशा में उपरोक्त प्रारम्भ के दिनांक से 6 महीने के भीतर तथा अन्य समस्त दशाओं में मान्यता प्राप्ति के लिए दिए गए आवेदन–पत्र के साथ प्रशासन योजना का प्रारूप तैयार किया जायेगा ओर उसे धारा 16–ग के अनुसार निदेशक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) यदि कोई संस्था,जो इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1958 के पूर्व मान्यता प्राप्त कर चुकी हो,उपधारा(1) के उपबन्धों का तदर्थ नियत अवधि के भीतर पालन न करे तो निदेशक ऐसी संस्था को एक नोटिस भेजेगा, जिसमें उससे तीन महीने की और अवधि के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत करने को कहा जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने के पूर्व संस्था द्वारा अभ्यावेदन किए जाने की दशा में निदेशक अपने विवेकानुसार अवधि तीन महीने के लिए और बढ़ा सकता है।

(3) यदि दिए हुए समय के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत न की जाय तो निदेशक धारा 16–घ की उपधारा (3)** के अनुसार कार्यवाही करेगा।

≅16–ग–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर जो विहित की जाय, या तो धारा 16–ख के अधीन प्रस्तुत किए गए प्रशासन योजना प्रारूप को स्वीकृत करेगा या उसमें किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव देगा। यदि निदेशक प्रशासन योजना में किसी परिवर्तन या परिष्कार का इस प्रकार से सुझाव देगा तो वह उसके लिए अपने कारण बताते हुए संस्था की ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाय, एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए संस्था को उसकी एक प्रतिलिपि भेजेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना–प्रारूप में विनियमों द्वारा विहित की गयी समयावधि के भीतर किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो प्रशासन योजना प्रारूप स्वीकृत समझा जायेगा।

(2) निदेशक उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और वह प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उक्त उपधारा के अन्तर्गत सुझाये गए परिवर्तन या परिष्कार के अधीन रहते हुए या ऐसे किन्हीं अन्य परिवर्तनों सहित, जो उसे न्याय संगत और उचित प्रतीत हो,स्वीकृत कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना में कोई नया परिवर्तन या परिष्कार करने का प्रस्ताव करे तो वह संस्था को ऐसी समयावधि के भीतर जो विहित की जाय,अभ्यावेदन करने का अवसर देगा।

---

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 द्वारा संशोधित।

** अधिसूचना संख्या मा/3082/15–7–8(4)–75, दिनांक 12 जुलाई, 1982 के अनुसार धारा 16–क की उपधारा (3) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में निम्नांकित रूप में लागू होगी—"किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं की स्थिति में, अवर सेवकों की नियुक्ति, पदोन्नति और दण्ड से सम्बन्धित विषयों के सिवाय, सम्बद्ध संस्था के प्रधान और स्थानीय निकाय की ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में अपनी–अपनी शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य, यथावश्यक परिवर्तनों सहित,वहीं होगें जो क्रमशः प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक और प्रबन्ध समिति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा विहित किए गए हों।"

≅ इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा अधिनियम की धारा 16 में उपधारा (7) जोड़ी गयी।

*16–गग– किसी ऐसे संस्था,जिसे इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1980 के प्रारम्भ के/पूर्व या पश्चात् मान्यता प्राप्त हो, के सम्बन्ध में प्रशासन योजना तृतीय अनुसूची में निर्धारित सिद्धान्तो से असंगत न होगी।

*16–गगग(1) जहाँ किसी संस्था के सम्बन्ध में, प्रशासन योजना इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1980 के प्रारम्भ के पूर्व किसी समय धारा 16–क, या धारा 16–ख या धारा 16–ग के अधीन अनुमोदित हों या अनुमोदित समझी गई हों और ऐसी प्रशासन योजना इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हों,वहाँ निदेशक प्रशासन योजना में कोई परिवर्तन या उपान्तर का सुझाव देते हुए ऐसी संस्था को एक नोटिस ऐसे प्रारम्भ के तीन** मास की अवधि के भीतर भेजेगा और संस्था से नई प्रशासन योजना प्रस्तुत करने या वर्तमान योजना में संशोधन या परिवर्तन करने की अपेक्षा करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना में कोई सुझाव देते समय निदेशक उसके लिए अपने कारणों का उल्लेख करेगा और संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय,अभ्यावेदन देने का अवसर भी देगा।

(3) निदेशक उपधारा (2) के अनुसार दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना को उसके मूल रूप में या उपधारा (1) के अधीन सुझाये गए किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए या ऐसे किसी अन्य परिवर्तन के साथ जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो अनुमोदित कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिवर्तन या उपान्तर का प्रस्ताव करता है, वहाँ वह संस्था को ऐसी अवधि के भीतर जिसे यह विनिर्दिष्ट करें, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।

मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और दोषों को दूर किया जाना

*16–घ ≅(1) निदेशक किसी मान्यता प्राप्त संस्था का समय–समय पर निरीक्षण करा सकता है।

(2) निदेशक निरीक्षण करने पर या अन्यथा पायी गयी किसी त्रुटि या कमी को दूर करने के लिए प्रबन्धाधिकरण को निदेश दे सकता है।

(3) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा निदेशक को यह समाधान हो जाय कि:–

(एक) किसी संस्था की प्रबन्ध समिति किसी न्यायालय के निर्णय अथवा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में विफल रही है, या

(दो) समिति ऐसे अर्हता के जो संस्था में शिक्षा के स्तर को बनाये रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है अध्यापक वर्ग को नियुक्त करने में विफल रही है या उसने इस अधिनियम या विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक वर्ग अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी–वर्ग को नियुक्त किया है या सेवा में बनाये रखा है, या

(तीन) भिन्न–भिन्न व्यक्तियों द्वारा प्रबन्ध समिति के विधिपूर्ण पदधारी होने के अधिकार का दावा करने के सम्बन्ध में किसी विवाद से,सम्बद्ध संस्था के निर्बाध और सुव्यवस्थित प्रशासन पर प्रभाव पड़ा है, या

(चार) समिति संस्था के लिए ऐसा पर्याप्त और उचित स्थान, पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन–सामग्री, प्रयोगशाला उपस्कर या अन्य सुविधाओं की, जो ऐसी संस्था के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक है व्यवस्था करने में लगातार विफल रही है, या

---

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

≅ अधिसूचना संख्या मा–2450/पन्द्रह–7–8(4)–7, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार धारा 16–ख, तथा 16–ग के उपबन्ध किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगें।

** इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 16–ख की उपधारा(3) में से शब्द [के खण्ड (क) या (ख)] हटाये गए धारा 16–ग में उपधारा (1) में शब्द " प्रशासन योजना की स्वीकृति प्रदान करने के सिद्धान्तों को शासित करने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए" के स्थान पर शब्द ' इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए' किए गए।

* इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 16ग में उपधारा (गग) तथा (गगग) बढ़ाई गई।

** इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा संशोधित।

(पाँच) समिति ने संस्था के हितों के प्रतिकूल उसकी पर्याप्त सम्पत्ति को अन्य कार्य में लगाया है,उसका दुरूपयोग या दुर्विनियोग किया है या किसी सम्पत्ति को उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थाओं (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 के उपबन्ध का उल्लंघन करके अन्तरित किया है, या

(छः) प्रशासन योजना का प्रारुप धारा–16–ख के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया है या संस्था का प्रबन्ध प्रशासन योजना से भिन्न रूप में संचालित किया जा रहा है या संस्था के कार्यकलापों का अन्यथा कुप्रबन्ध किया जा रहा है, या

(सात) किसी संस्था की प्रशासन योजना, जो इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व अनुमोदित की गयी हो, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत है, और संस्था की प्रबन्ध समिति धारा 16–गगग के अधीन नोटिस दिए जाने के बावजूद समुचित समय के भीतर उसमें परिवर्तन या उपान्तर करने में असफल रही है,

तो वह मामले को ऐसी संस्था को मान्यता वापस लेने के लिए बोर्ड को निर्दिष्ट कर सकता है या प्रबन्ध समिति को नोटिस जारी कर सकता है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर यह कारण बतायें कि क्यों न उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया जाय।

(4) जहाँ किसी संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर,जैसा निदेशक समय–समय पर अनुमति दें, कारण बताने में विफल रहे,या जहाँ प्रबन्ध समिति द्वारा बताये गये कारण पर विचार करने के पश्चात् निदेशक का समाधान हो जाय कि उपधारा (3) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है, वहाँ वह उस संस्था के लिए प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है,और तदुपरान्त राज्य सरकार आदेश द्वारा, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेगें किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी विनिर्दिष्ट की जाय,ऐसी संस्था और उसकी सम्पत्तियों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय है कि संस्था और उसकी सम्पत्तियों के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित बनाये रखने के लिए ऐसा करना समीचीन है,तो वह समय–समय पर उक्त आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसी वह विनिर्दिष्ट करें, इस प्रकार बढ़ा सकती है कि आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि भी है, किन्तु जिसमें उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट अवधि सम्मिलित न होगी, पाँच वर्ष से अधिक न हो,

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्ण गठित कोई प्रबन्ध समिति अस्तित्व में न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक उस समय तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रबन्ध समिति का विधिपूर्ण गठन हो गया है।

(5) यदि सूचना प्राप्त होने पर या अन्यथा राज्य सरकार की राय हो कि किसी संस्था के सम्बन्ध में उपधारा (3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पाँच) में उल्लिखित कारण विद्यमान है और संस्था के हित में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है तो वह उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था के प्रबन्धाधिकरण को नोटिस जारी कर सकती है कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कारण बतायें कि क्यों न ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय।

---

* इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा संशोधित।

≅ अधिसूचना संख्या मा–2450/15–7–8 (4)–75, दिनांक 13 जून,1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में—

(1) धारा 16–घ की उपधारा (2), (3), (4–क) तथा (4–ख) में जहाँ कहीं भी शब्द "प्रबन्धाधिकरण" आया है उसके स्थान पर "सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति" कर दिए गए है।

(2) धारा 16–घ की उपधारा (4) (ग) (घ) और उपधारा (4) के तृतीय परन्तुक के उपबन्ध लागू नहीं होगें।

(3) धारा 16(घ) की उपधारा (5) से (7) में जहाँ कहीं भी शब्द "प्रबन्धाधिकरण" आया है उसके स्थान पर 'सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति" कर दिए गए हैं।

(6) जहॉ सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति उपधारा (5) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर अनुमति दे, कारण बताने में विफल रहती है या जहॉ प्रबन्ध–समिति द्वारा बताये गए कारण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि उपधारा(3) के खण्ड (तीन) या खण्ड (पॉच) में उल्लिखित कोई कारण विद्यमान हो वहॉ वह आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेगें ऐसी संस्था के सम्बन्ध में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (4) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगें।

(7) उपधारा (5) में निर्दिष्ट नोटिस तामील किए जाने के दिनांक को या इससे पूर्व उपधारा (3) के अधीन निदेशक द्वारा जारी की गयी प्रत्येक नोटिस जो ऐसी तामील के दिनांक को अन्तिम रूप से निस्तारित न की जा चुकी हो उक्त दिनांक से स्थगित समझी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार द्वारा उपधारा (5) के अधीन जारी की गई नोटिस उन्मोचित की जाय तो उपधारा की कोई बात निदेशक को उपधारा (3) के खण्ड (तीन) और (पॉच) में उल्लिखित कारणों से भिन्न कारणों से कार्यवाही करने में बाधक नहीं समझी जायेगी।

(8) यदि राज्य सरकार की राय हो कि सम्बद्ध संस्था के हित में प्रबन्ध समिति को भी तुरन्त निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उपधारा (5) के अधीन नोटिस जारी करते समय, आदेश द्वारा और उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेगें प्रबन्ध समिति को निलम्बित कर सकती है और संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, बाद में उपधारा (6) के अधीन होने वाले आदेश तक की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि निलम्बन उस दिनांक से जब वह प्रभावी हो छः मास से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण– (एक)– सन्देहों को दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपधारा (4) या उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट समयावधि की गणना करने में उतनी अवधि को अपवर्जित किया जायेगा जिसके दौरान आदेश का प्रवर्तन उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, निलम्बित किया गया हो।

(दो)–उपधारा (4) या उपधारा (6) की कोई बात राज्य सरकार को उक्त किन्हीं उपबन्धों के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के आदेश को प्रतिसंहत करने से प्रवारित नहीं करेगी।

(9) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि उपधारा (4) या उपधारा(8) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को संस्था की किसी स्थावर सम्पत्ति का (प्रबन्ध के सामान्य–क्रम में माह प्रति माह किरायें पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे भारित करने किसी लिखित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित अनुदान प्राप्त करने (शर्त के रूप में) की शक्ति है।

(10) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था या उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध और नियंत्रण से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या किसी लिखित (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) में निहित किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि संस्था की सम्पत्ति और उससे प्राप्त किसी आय का उपयोग किसी ऐसे लिखित में यथा उपबन्धित संस्था के प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा।

(11) निदेशक प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसे निदेश दे सकता है, जैसे वह संस्था या उसकी सम्पत्ति के समुचित प्रबन्ध के लिए आवश्यक समझे, और प्राधिकृत नियंत्रक उन निदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(12) उपधारा (3) के अधीन किए गए निदेश के अनुसरण में बोर्ड द्वारा मान्यता वापस लेने के किसी आदेश और निदेशक या राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी, और इस धारा के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(13) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होगी, न कि उनका अल्पीकरण करेगी।

(14) उपधारा (3) से (13) की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

*16–घघ (1) जहाँ धारा 16–घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) के अधीन कोई प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय वहाँ––

(क) वह सम्बद्ध संस्था और उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध, उसकी प्रबन्ध समिति को अपवर्जित करके, अपने अधिकार में ले लेगा और उसे ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसा राज्य सरकार आरोपित करे, ऐसी समस्त शक्तियां और प्राधिकार होगें, जैसे समिति को प्राप्त होते यदि संस्था और उसकी सम्पत्ति उक्त उपधाराओं के अधीन अधिकार में न ली गयी होती,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में संस्था की कोई सम्पत्ति हो, तुरन्त ऐसी सम्पत्ति को प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप देगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में धारा 16–घ की उपधारा (4) या उपधारा (8) में निर्दिष्ट आदेश के दिनांक को संस्था या उसकी सम्पत्ति से सम्बद्ध कोई पुस्तक या अन्य दस्तावेज है, प्राधिकृत नियंत्रक को उक्त पुस्तक और अन्य दस्तावेज देने के लिए उत्तरदायी होगा, और उन्हें उसको या ऐसे व्यक्ति को देगा जिसे प्राधिकृत नियंत्रक इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(3) प्राधिकृत नियंत्रक संस्था या उसकी सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर कब्जा और नियंत्रण दिए जाने के लिए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर प्राधिकृत नियंत्रक को ऐसी संस्था या सम्पत्ति का कब्जा दिलाने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और विशिष्ट रूप से ऐसे बल का प्रयोग कर सकता या करा सकता है जो आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण– इस धारा और धारा 16–घ में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, किसी संस्था के सम्बन्ध में,"सम्पत्ति"के अन्तर्गत संस्था के स्वामित्वाधीन या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यासित ऐसी समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति है जिसमें भूमि, भवन (छात्रावास सहित), निर्माण–कार्य, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, उपकरण उपस्कर, फर्नीचर, लेखन– सामग्री, स्टोर, आटोमोबाइल और अन्य गाड़ियॉं, यदि कोई हो, सम्मिलित है और संस्था से सम्बन्धित अन्य वस्तुएं, हस्तरथ, नकदी, बैंक नकदी, फीस से आय, छात्र निधि और सरकारी अनुदान, विनियोग और बही ऋण, और ऐसी सम्पत्ति से जो संस्था के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उत्पन्न होने वाले समस्त अन्य अधिकार और हित, और समस्त लेखा बही, रजिस्टर और उससे सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समस्त अन्य दस्तावेज भी है और इसके अन्तर्गत संस्था पर सभी प्रकार के समस्त उधार, दायित्व और बाध्यतायें भी समझी जायेंगी।

अध्यापकों की नियुक्ति

*16–ङ ≊(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किए जायेगें।

(2) संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापक का पद,सिवाय पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए विहित सीमा तक निरीक्षक की रिक्ति की सूचना देने और रिक्ति को कम से कम दो समाचार–पत्रों में जिनका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञप्ति करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि विनियमों द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता उसके पास न हो।

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति भी जिसके पास ऐसी अर्हता न हो नियुक्त किया जा सकता है, यदि बोर्ड ने उसकी शिक्षा, अनुभव और अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उसे अर्हता मुक्त कर दिया हो।

* इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा बढ़ाया गया।

**(4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण मेंसंस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय, निरीक्षक को दिया जायगा।

**(5) (एक) उपधारा (4) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निरीक्षक ऐसे प्रत्येक आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में विहित प्रकिया और सिद्धान्तों के अनुसार गुणविशेषता अंक दिलायेगा, और तत्पश्चात् आवेदन–पत्र प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।

*(दो) आवेदन–पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना और चयन समिति की बैठक विनियमों के अनुसार होगी;

(6) चयन समिति एक सूची तैयार करेगी जिसमें प्रत्येक पद के नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये गए यथासाध्य तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान क्रम में होंगे और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश समिति को संसूचित करेगी।

(7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति कर सर्वप्रथम चयन समिति के प्रथम अधिमान्यता प्राप्त अभ्यर्थी को और उसके पद ग्रहण करने में विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गयी सूची में उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी की भी विफलता पर उस सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी।

(8) यदि प्रबन्ध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सहित मामला, संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक को और संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में निरीक्षक को निर्दिष्ट करेगी, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(9) यदि नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर से चयन किया जायेगा।

(10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार का, और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में, निदेशक का यह समाधान हो जाय कि यथास्थिति, संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर सकता है और ऐसे परिणामी आदेश दे सकता है, जो आवश्यक हो।

(11) पूर्ववर्ती उपधाराओं की किसी बात के होते हुए भी किसी पदासीन व्यक्ति को छः माह से अनधिक अवधि के लिए अवकाश के अनुदान से या किसी शिक्षा सत्र के दौरान किसी पदासीन व्यक्ति की मृत्यु या सेवा *समाप्ति या अन्य प्रकार* से उत्पन्न होने वाले अस्थायी रिक्ति की दशा में नियुक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा चयन समिति को निर्देश किए बिना ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन की जा सकेगी जो विहित की जाय।

**प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन की गई कोई नियुक्ति, किसी भी स्थिति में, उस शिक्षा सत्र के जिसमें ऐसी नियुक्ति की गई हो, समाप्ति के पश्चात् बनी नहीं रहेगी।

---

* माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

≅ अधिसूचना संख्या मा–2450–15–7–8(4)–75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में धारा 16–ड में जहाँ कहीं भी शब्द " प्रबन्धाधिकरण" आया है उसके स्थान पर शब्द " सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति" कर दिए गए हैं।

** उ0प्र0 शिक्षा विधि(संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित ।

छटनी किए गए कर्मचारियों का आमेलन–

≅ 16–ङङ–(1) जहां किसी संस्था के किसी कर्मचारी की छटनी 1 जुलाई, 1974 को या उसके पश्चात् किन्तु इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो, और ऐसा कर्मचारी मूल नियुक्ति के दिनांक को उसके लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखता हो, वहॉ सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक इस निमित्त आवेदन–पत्र दिए जाने पर निदेश देगा कि इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कर्मचारी को उसी संस्था में या उसकी अधिकारिकता के भीतर किसी जिले में स्थित किसी अन्य संस्था में होने वाली किसी स्थायी रिक्ति में आमेलित किया जाय।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् छटनी किए गए किसी कर्मचारी के मामले में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक, सम्बद्ध कर्मचारी के आवेदन–पत्र के बिना इस धारा के अधीन निदेश देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1980 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के भीतर दिया जायगा।

(3) जहॉ उपधारा (1) के अधीन सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा कोई निदेश जारी किया जाय, वहॉ निम्नलिखित परिणाम होगें, अर्थात्––

(एक) सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति प्रत्येक ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी और ऐसे कर्मचारी को, जिसके पक्ष में ऐसा निदेश दिया जाय, समिति द्वारा उसे जारी किए गए नियुक्ति आदेश के दिनांक से या उपधारा (1) के अधीन प्रबन्ध समिति पर निदेश तामील किए जाने के दिनांक से दो मास की अवधि की समाप्ति से, जो भी पहले हो, ऐसी संस्था का कर्मचारी समझा जायेगा।

(दो) ऐसे कर्मचारी द्वारा अपनी छटनी के दिनांक के पूर्व किसी संस्था में की गई मौलिक सेवा की अवधि की गणना उसकी ज्येष्ठता और पेन्शन के प्रयोजनों के लिए की जायेगी।

(तीन) जहॉ सम्बद्ध कर्मचारी पद का कार्यभार इस निमित्त दिए गए समय के भीतर ग्रहण करने में चूक करता है, वहॉ इस धारा का लाभ उसे उपलब्ध नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दिए गए निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश की तामील के दिनांक से एक माह के भीतर निदेशक को अभ्यावेदन कर सकता है, और उस पर निदेशक का आदेश अन्तिम होगा।

(5) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होगें।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनार्थः–

(क) किसी संस्था के सम्बन्ध में 'कर्मचारी' का तात्पर्य उस संस्था के ऐसे अध्यापक, संस्था के प्रधान या अन्य कर्मचारी से है जो छटनी के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को, स्थायी पद पर हो,

(ख) "संस्था" के अन्तर्गत राज्य सरकार या निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण सस्था भी है,

(ग) किसी संस्था के किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में "छटनी" का तात्पर्य त्याग–पत्र, सेवा–निवृत्ति या अनुशासनिक कार्यवाही में दण्ड स्वरूप हटाये जाने के कारण से भिन्न किसी कारण से उसकी सेवाओं की समाप्ति से है।

(6) इस धारा की कोई बात भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था पर लागू नहीं होगी।

---

* माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

** उ0प्र0 शिक्षा विधि(संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संशोधित ।

≅ इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1980 द्वारा धारा 16–ङङ बढ़ाई गई।

चयन समिति

*16–च ≅(1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होगें:–

(एक) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट करें—जो सभापति होगा;

(दो) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न उसका एक सदस्य ;

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गई नामिका में से सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ जो उस जिले के न हों,जिसमें वह संस्था स्थित है।

(2) संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होगें:–

(एक) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा;

(दो) ऐसी संस्था का प्रधान;

(तीन) इस धारा के अधीन तैयार की गई नामिका में से निरीक्षक द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें संस्था स्थित है।

(3) किसी ऐसी संस्था के सम्बन्ध में जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया हो, उस संस्था के सम्बन्ध में यथास्थिति, उपधारा (1) के खण्ड (एक) और (दो) या उपधारा (2) के खण्ड (एक) में निर्दिष्ट व्यक्ति के स्थान पर प्राधिकृत नियंत्रक रखा गया समझा जायगा।

(4) प्रत्येक सम्भाग के लिए विहित रीति से निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार की जायगी और प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जायेगी।

(5) चयन समिति का कार्य संचालन विहित रीति में किया जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी चयन समिति की गणपूर्ति उस समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से होगी;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि यथास्थिति, उपधारा (1) खण्ड (तीन) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों में से दो विशेषज्ञ उससे सहमत न हों।

(6) चयन समिति की कोई कार्यवाही केवल उसके संगठन में कोई त्रुटि या उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अल्प संख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद

*16–चच–(1) धारा 16–ड की उपधारा (4) में और धारा 16–च में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिए चयन समिति में प्रबन्ध समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट(सभापति को सम्मिलित करते हुए) पॉच सदस्य होगें:

प्रतिबन्ध यह है कि चयन समिति के सदस्यों में से एक—

(क) संस्था के प्रधान की नियुक्ति के मामले में निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की तैयार की गई नामिका में से प्रबन्ध समिति के द्वारा चुना गया विशेषज्ञ होगा,

(ख) अध्यापक की नियुक्ति के मामले में सम्बद्ध संस्था का प्रधान होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रकिया वह होगी जो विहित की जाय।

---

* उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित ।

≅ अधिसूचना संख्या मा–2450/15–7–8(4)–75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में धारा 16–च में जहाँ कहीं भी शब्द "प्रबन्धाधिकारण" आया है उसके स्थान पर शब्द "सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति" कर दिए गए हैं।

(3) इस धारा के अधीन चुने गए किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक—

(क) संस्था के प्रधान के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक ने नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो, और

(ख) अध्यापक के मामले में निरीक्षक ने ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो।

(4) सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक या निदेशक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चयन का अनुमोदन नहीं रोकेगा जबकि चुना गया व्यक्ति विहित न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र हों।

(5) जहाँ सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक या निरीक्षक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चुने गए अभ्यर्थी का अनुमोदन नहीं करता है वहाँ प्रबन्ध समिति ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर संस्था के प्रधान के मामले में निदेशक को और अध्यापक के मामले में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है।

(6) उपधारा (5) के अधीन अभ्यावेदन पर निदेशक या सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

परीक्षा के दौरान सहायता के लिए उपबन्ध

**16—चचच (1) बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षाफल तैयार करने के लिए प्रबन्ध समिति,संस्था के प्रधान, प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा इसके अधीन अपेक्षित सौंपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) यदि निदेशक का यह समाधान हो जाये कि कोई ऐसी समिति, संस्था का प्रधान,अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उनका परीक्षाफल तैयार करने के लिए ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन,फर्नीचर या किसी सम्पत्ति का अधियाचन करना और उसे कब्जे में लेना भी है) और ऐसी अवधि के लिए कर सकता है जो उसे उसके लिए आवश्यक प्रतीत हो।

संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें:—

**16—छ—*(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय और प्रबन्धाधिकरण तथा ऐसे कर्मचारी के बीच किया गया कोई करार, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों या विनियमों से असंगत हो,शून्य होगा।

(2)उपधारा (1) द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है:—

(क) परिवीक्षा की अवधि,स्थायीकरण की शर्ते और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्ते,(जिसके अन्तर्गत जॉच या अपेक्षित जॉच होने तक या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए किसी दण्डित मामले में अन्वेषण, जॉच या विचार किए जाने तक निलम्बन भी है) तथा निलम्बन की अवधि के लिए उपलब्धियॉ और नोटिस देकर सेवा समाप्ति किया जाना सम्मिलित है,

(ख) वेतन—क्रम तथा वेतनों का भुगतान,

(ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण,

(घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि तथा अन्य लाभ, और

(ङ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखा जाना।

(3) (क) कोई भी प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक निरीक्षक की लिखित रूप में पूर्ण स्वीकृति के बिना न तो सेवामुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकेगा, न पंक्तिच्युत किया जा सकेगा और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकेगी और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकेगा। निरीक्षक के निर्णय की सूचना उस अवधि के भीतर दी जायेगी, जो विनियमों द्वारा विहित की जाय।

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

** उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित ।

(ख) निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढा सकता है या सेवायें समाप्त करने की नोटिस की स्वीकृति या अस्वीकृत कर सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में निरीक्षक आदेश जारी करने के पूर्व प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखवारे के भीतर कारण बतायें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय।

(ग) कोई पक्ष खण्ड (ख) के अधीन किसी निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध चाहे वह इण्टरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् किया गया हो, आदेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के भीतर सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक ऐसी अतिरिक्त जॉच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द अथवा परिष्कृत कर सकता है, जो कि अन्तिम होगा। यदि वह आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई हो, सम्भागीय उप निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति ने ही निरीक्षक की हैसियत से दिया था तो निदेशक के आदेश से वह अपील किसी अन्य सम्भागीय उपनिदेशक को निर्णय के लिए संक्रमित हो जायगी और इस खण्ड के उपबन्ध उस सम्भागीय उप–निदेशक के निर्णय के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों वह अपील हुई थी।

(घ) खण्ड (ग) के अधीन, जैसाकि वह इण्टरमीडिएट एजूकेशन(संशोधन) अधिनियम, 1966 के प्रारम्भ होने के दिनांक के पूर्व था, प्रस्तुत की गयी सभी अपीलें जो उक्त दिनांक के ठीक पूर्व निर्णय के लिए विचाराधीन थीं, उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (ग) के अनुसार सम्भागीय शिक्षा उप–निदेशक द्वारा निर्णीत की जायेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति न की जायेगी और सम्बन्धित पक्ष आदेश या निर्णय में दिए गए निदेशों को उस अवधि के भीतर, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय,निष्पादित करने के लिए बाध्य होगें।

* (5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में––

(क) उसके विरूद्ध आरोप इतना गम्भीर न हो कि उससे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय; या

(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो;या

(ग) उसके विरूद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड विषयक मामला अन्वेषण, जॉच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन सन्निहित है।

(6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रारम्भ के दिनांक से 30 दिन के भीतर,यदि निलम्बन आदेश ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पारित किया गया था, और किसी अन्य मामले में निलम्बन के आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर निरीक्षक को दी जायेगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे।

(7) निलम्बन का कोई आदेश, जब तक कि निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के दिनांक से या यथास्थिति, उस आदेश के दिनांक से साठ दिन से अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और निरीक्षक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

---

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित।

* उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा उपधारा 5 संशोधित हुई तथा उपधारा 6 से 9 तक बढ़ायी गयी।

**अधिसूचना संख्या मा–2450/15–7–8(4)–75, दिनांक 13 जून, 1979 के अनुसार किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के सम्बन्ध में धारा 16–छ में–

1–जहॉं कहीं भी शब्द ''प्रबन्धाधिकरण'' आया है उसके स्थान पर शब्द ''सम्बद्ध स्थानीय निकाय या संस्था के प्रबन्ध के लिए सशक्त व्यक्ति'' कर दिया गया हैं।

2–शीर्षक में शब्द ''संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें'' के स्थान पर ''संस्थाओं के प्रधान और अध्यापकों की सेवा शर्तें'' कर दिया गया है।

3– उपधारा (1) में शब्द ''प्रत्येक व्यक्ति'' के स्थान पर शब्द ''प्रत्येक अध्यापक और संस्था का प्रधान'' कर दिया गया है।

(8) यदि, किसी समय, निरीक्षक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना बिलम्ब किया जा रहा है तो निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिए गए निलम्बन के आदेश प्रतिसंहृत कर सकता है।

(9) इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उप–शिक्षा निदेशक (महिला) के समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) को निस्तारण के लिए अन्तरित हो जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पूर्व उप–शिक्षा निदेशक (महिला) ने किसी ऐसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ कर दी हो तो अपील का निस्तारण स्वयं उप–शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में पद "संम्भागीय शिक्षा उप निदेशक" का तात्पर्य संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) से होगा।

तदर्थ अध्यापकों की नियुक्ति को विनियमित करना–

*16–छछ (1) धारा 16–ङ, 16–च और 16–चच में किसी बात के होते हुए भी, किसी संस्था के अध्यापक को जो 18 अगस्त, 1975 और 30 सितम्बर,1976 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं),के बीच स्पष्ट रिक्ति में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गयाहै और विहित अर्हताएं रखता है या जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गई है, इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से, मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायेगा, बशर्ते कि ऐसा अध्यापक अपनी नियुक्ति के दिनांक से इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक तक संस्था में निरन्तर कार्य करता रहा हो।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ, वह अवधि जिसमें अध्यापक की सेवा में उसकी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक और इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक के बीच कोई व्यवधान किसी कारण से हुआ है जो उसके दुराचरण या स्वेच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायगा :–

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि ऐसा अध्यापक अपनी सेवा में व्यवधान की किसी ऐसी अवधि के लिए किसी वेतन या भत्ते का हकदार है।

(2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में, नियुक्त समझे गए प्रत्येक अध्यापक को इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायगा।

(3) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई अध्यापक–

(क) किसी पद पर मौलिक नियुक्ति का हकदार है यदि इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक पर ऐसे पद पर पहले ही नियुक्ति कर दी गयी है या ऐसे पद के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए विनियमों के अनुसार चयन किया जा चुका है, या

(ख) मौलिक नियुक्ति का हकदार है यदि ऐसा अध्यापक सम्बद्ध संस्था की प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य या प्राचार्य (प्रिंसिपल) या प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) का सम्बन्धी है।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एकदूसरें से सम्बन्धित समझा जायेगा, यदि––

(क) वे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य हों,या

(ख) वे पति और पत्नी हों या

(ग) *द्वितीय अनुसूची में इंगित रीति से एक–दूसरे से सम्बन्धित हों।

संस्थाओं के कतिपय वर्गो को कुछ धाराओं के प्रचलन से मुक्ति–

16 ज–(1) धारा 16–क, 16–ख, 16–ग, धारा 16–घ की उपधारा (2) से उपधारा **(13) तक के तथा धरा 16–ङ, 16–च तथा 16–छ के उपबन्ध राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर लागू नहीं होगें।

(2) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं की दशा में राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि उन पर उपधारा (1) में उल्लिखित समस्त या कोई उपबन्ध लागू नहीं होगें, या वे ऐसे परिवर्तनों, परिष्कारों या परिवर्धनों के साथ लागू होगें, जो वह करें ≡≡और इस प्रकार लागू किए गए उपबन्ध, यदि कोई हों तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होगें।

*उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा उपधारा 5 संशोधित हुई तथा उपधारा 6 से 9 तक बढायी गयी।

16–झ– राज्य सरकार की स्वीकृति के अधीन रहते हुए निदेशक सरकारी गजट विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदान किए गए समस्त या किन्हीं अधिकारों को सिवाय उन अधिकारों के, जिनका प्रयोग वह बोर्ड के सभापति के रूप में करता है, शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को जो शिक्षा उप निदेशक से भिन्न श्रेणी के न हों, प्रतिनिहित कर सकता है।

17–(निकाल दिया गया)।

आकस्मिक रिक्तियां

*18– बोर्ड या बोर्ड द्वारा निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किसी समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों के अतिरिक्त) होने वाली समस्त रिक्ति की पूर्ति यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायगी जिसने उस सदस्य को, निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किया हो, जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति बोर्ड या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा, जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता, जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो।

कार्यवाहियॉ रिक्तियों के कारण अवैध न होंगी

19–बोर्ड या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अवैध न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थी।

बोर्ड तथा समितियों का उप विधियॉ बनाने का अधिकार

20–(1)बोर्ड तथा उसी समितियां इस अधिनियम तथा विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती है जिनमें–

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रकिया तथा गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय,

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय, जो इस अधिनियम तथा विनयमों से संगतर होते हुए उप विधियों द्वारा विहित किए जाने हैं, और

(ग) केवल बोर्ड तथा उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय, जिनकी इस अधिनियम तथा विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।

(2) बोर्ड और उसकी समितियां बोर्ड या समिति के सदस्यों की बैठकों के दिनांक और उसमें सम्पादित किए जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधियां बनायेगी।

(3) बोर्ड, समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निर्देश दे सकता है और समिति ऐसे किसी निदेश को कार्यान्वित करेगी।

सद्भावना से किएं गए कार्य आदि के लिए संरक्षण

21– राज्य सरकार,बोर्ड या उसकी किसी समिति अथवा बोर्ड या किसी समिति के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गए किसी नियम या दिए गए किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत हो।

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक

22– इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार के प्रयोग में बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा दिए गए किसी आदेश अथवा निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

---

*उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1977 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5, 1977) द्वारा बढ़ाया गया।

*उ0प्र0 शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1978 द्वारा बढ़ाया गया।

**इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 1980 द्वारा संशोधित किया गया।

≠= उ0प्र0 शिक्षा विधि(संशोधन) अधिनियम 1977 द्वारा संशोधित।

* उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 द्वारा संशोधित।

#प्रथम अनुसूची—निकाली गयी

द्वितीय अनुसूची
(धारा 16 छछ के संदर्भ में)
सम्बन्धियों की सूची

1— पिता
2— माता (जिसमें सौतेली माता भी सम्मिलित है)
3— पुत्र (जिसमें सौतेला पुत्र भी सम्मिलित है)
4— पुत्र—वधू
5— पुत्री (जिसमें सौतेली पुत्री भी सम्मिलित है)
6— दादा
7— दादी
8— नानी
9— नाना
10— पौत्र
11— पौत्र—वधू
12— पौत्री
13— पौत्री का पति
14— दामाद
15— नाती
16— नाती की पत्नी
17— नातिन
18— नातिन का पति
19— भाई (जिसमें सौतेला भाई भी सम्मिलित है)
20— भाई की पत्नी
21— बहिन (जिसमें सौतेली बहन भी सम्मिलित है)
22— बहनोई
23— पत्नी (या पति) का भाई
24— ससुर
25— साली या ननद
26— भतीजा
27— भतीजी

पाद—टिप्पणीः—

#— इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम—2007 द्वारा संशोधित।

तृतीय अनुसूची

(धारा 16–ग के सन्दर्भ में)

सिद्धान्त जिन पर प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जायगा—

प्रत्येक प्रशासन योजना में–

(1) प्रबन्ध समिति के समुचित और प्रभावी कार्य करने की व्यवस्था होगी;

(2) नियमकालिक निर्वाचनों द्वारा प्रबन्ध समिति का गठन करने की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(3) प्रबन्ध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों की अर्हताओं और अनर्हताओं और उनकी पदावधि की व्यवस्था होगी;

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रशासन योजना में ऐसे कोई उपबन्ध नहीं होंगे जो किसी व्यक्ति, जाति, पंथ या परिवार विशेष के पक्ष में एकाधिकार उत्पन्न करते हों।

(4) बैठक बुलाने और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया की व्यवस्था होगी;

(5) यह व्यवस्था होगी कि सभी विनिश्चय प्रबन्ध समिति द्वारा किए जायं और प्रत्यायोजन की शक्ति, यदि कोई हो सीमित और स्पष्ट रूप से परिभाषित होगी;

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रबन्ध समिति और उसके पदधारियों की शक्तियां और कर्तव्य स्पष्टरूप से परिभाषित हो;

(7) संस्था की सम्पत्ति के अनुरक्षण और उसकी सुरक्षा और उसकी निधि का उपयोग करने की भी और लेखों की नियमित जाँच और लेखा परीक्षा की भी व्यवस्था होगी।